न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–81/2010 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. दूल्या पुत्र श्री छाजूराम जाति मीणा निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर (मृतक)

1/1 रामखिलारी पुत्र दूल्या निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर

1/2 रामनिवास पुत्र दूल्या निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर

1/3 मु0 छोटी बेवा दूल्या निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर

1/4 सरूपी पुत्री दूल्या पत्नि लक्ष्मीनारायण निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ हाल निवासी हलदीना तहसील दौसा जिला दौसा राज0,

1/5 बिरमा पुत्री दूल्या पत्नी रामौतार निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर, हाल निवासी हलदीना तहसील दौसा जिला दौसा राज0,

1/6 बिमला पुत्री दूल्या पत्नी फतेहसिंह निवासी हिरनोटी तहसील राजगढ हाल निवासी रौनीजाथान तहसील व जिला अलवर।

.... अपीलांटस

बनाम

1. कैलाश पुत्र श्री छुट्टन जाति मीणा निवासी परवैणी,
2. राधेश्याम पुत्र श्री छुट्टन जाति मीणा निवासी परवैणी,
3. पूरण पुत्र श्री छुट्टन जाति मीणा निवासी परवैणी– मृतक

3/1 भागन्ती पत्नी स्वर्गीय पूरण मीणा

3/2 वसुदेव पुत्र स्वर्गीय पूरण मीणा अवयस्क जर्ये माता व सरपरस्त भागन्ती निवासीयान ग्राम परवैणी तहसील राजगढ जिला अलवर राज0

4 मु0 सुकली बेवा श्री छुटटन जाति मीणा निवासी ग्राम परवैणी तहसील राजगढ जिला अलवर राज0

.... रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–

1. श्री उमाशंकर, अभिभाषक अपीलांट ।
2. अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित।

नोट: पुनश्च अभिभाषक रेस्पो. मुकेश व्यास उप० हु.
9/3/21

::: निर्णय :::

दिनांक :–16.02.2021

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद बअनुवानी कैलाश वगैरा बनाम दूल्या दावा बाबत इश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज एवं हुक्मइम्तनाई दवामी का मिन प्रतिवादी/अपीलांट के विरूद्ध बाबत आराजी साबिक खसरा नंबर 239 रकबा 10 बिस्वा, 349 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा संवत 2014 एवं 2018 के बाद भूमि एकीकरण खसरा नंबर 110 रकबा 10 बिस्वा, 217 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 210 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, जिनके हाल बंदोबस्त संवत 2046 में खसरा नंबर 110, जिसे मिलान क्षेत्रफल में 210 रकबा 10 बिस्वा दर्ज किया गया है, का हाल खसरा नंबर 517 रकबा 13 ऐयर, 217 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 626 रकबा 34 ऐयर, 632 रकबा 0.38 ऐयर व खसरा नंबर 210 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के 616 रकबा 65 ऐयर ग्राम हिरनोटी तहसील राजगढ जिला अलवर, प्रस्तुत किया। उक्त मुकदमे का निस्तारण करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी कायम की तथा दिनांक 05.11.2009 को प्रतिवादी अपीलांट की इकतरफा करते हुये इकतरफा में वादीगण की साक्ष्य लेकर दावा डिक्री फरमा दिया। तहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया। अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2010 खिलाफ कानून, खिलाफ मौका एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के खिलाफ पारित की गई है। अपीलांट को तहत अदालत में साक्ष्य सफाई पेश करने का व जिरह का अवसर नही मिला तथा अपीलांट के वकील साहब ने भी अपीलांट को मुकदमे की कार्यवाही की व निर्णय की समय पर जानकारी नही दी व रेस्पो0 से साज बाज होकर अपीलांट की इकतरफा करवा दी तथा इसकी कोई भी जानकारी अपीलांट को नही दी गई। इस प्रकार अपीलांट को तहत अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का व साक्ष्य प्रस्तुत करने का व रेस्पो0 के गवाहों से जिरह करने का अवसर प्राप्त नही हुआ। रेस्पो0 का व उनके पिता श्री छुट्टन का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा न ही मौके पर उसका कोई कब्जा काश्त था। तहत अदालत ने मौके पर कब्जे की कोई रिपोर्ट तलब नही की तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने उभयपक्षों के अभिवचन पर उचित प्रकार से तनकी भी कायम नही की तथा जो तनकी कायम की उनका भी निर्णय सही प्रकार से नही किया है। तनकी नंबर 01 का निर्णय तहत अदालत द्वारा गलत पारित किया है क्योंकि रेस्पो0 का विवादित आराजी पर किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त साबित नही था न ही रेस्पो0 के कब्जे की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर पेश हुई। रेस्पो0 ने मृतक चन्दू के नाम हुये बयनामे को भी चैलेंज किया है किन्तु इस दावे में इस बाबत कोई डिक्री नही चाही न ही किसी सिविल न्यायालय में

बयनामा को चैलेंज किया है न ही कोई उक्त बयनामा के इन्तकाल की कोई अपील आज तक पेश हुई है। तहत अदालत ने कतई गलत खिलाफ कानून, खिलाफ मौका रेस्पो0 को 1/2 हिस्से का खातेदार माना है।तहत अदालत ने अपीलांट की इकतरफा हो जाने के कारण व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण रेस्पो0 का दावा इकतरफा में साबित मानकर डिक्री किया है। तहत अदालत ने तनकी संख्या 02 का निर्णय भी कतई गलत किया है क्योंकि जब रेस्पो0 का विवादित आराजी से कोई लेना देना, कब्जा काश्त आदि किसी प्रकार का नही है न कभी रहा है तो वह मिन अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही हो सकता है। तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार अपीलांट पर था किन्तु अपीलांट को तहत अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्राप्त नही हुआ और निर्णय एकतरफा में पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः विधिवत् सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । तहत अदालत विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने पर दिनांक 06.10.2005 को कैलाश बनाम दूल्या व दूल्या बनाम कैलाश वादों को एकजाई करने के आदेश किये गये। दिनांक 05.11.2009 को दूल्या बनाम कैलाश को "नो इन्सट्रक्शन" में खारिज कर दिया गया। दिनांक 16.04.2010 को कैलाश बनाम दूल्या में प्रतिवादीगण की "एक्सपार्टी" कर दी गई। अर्थात् दोनों वादों को एकजाई करने के पश्चात वाद दूल्या बनाम कैलाश में वादी के अधिवक्ता ने "नो इन्सट्रक्शन" करने पर खारिज कर दिया गया व दूसरा वाद कैलाश बनाम दूल्या में भी इसी आधार पर इकतरफा कर दिया गया।

कानून की मंशा है कि यदि किसी अधिवक्ता द्वारा "नो इन्सट्रक्शन" कर दिया जाता है तो अदालत का यह कर्त्तव्य है कि वह अधिवक्ता को यह आदेश दे कि वह उन पक्षकारों को सूचित करने के लिये न्यायालय में रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे व न्यायालय उनको जारी करे। यदि ऐसा न्यायालय द्वारा नही करवाया जाता है तो स्वयं न्यायालय के लिये यह बाध्यकारी है कि वह अपने खर्चे पर पक्षकारान को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी करे।

तहत अदालत द्वारा उक्त दोनों कानूनी प्रावधानों की अनुपालना नही करवाया जाकर केवल यह विवेचना कर कि प्रतिवादीगण द्वारा जबावदावा तो प्रस्तुत किया गया इसके उपरान्त उसके द्वारा आवश्यक पैरवी नही की गई तथा एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी के विरूद्ध की गई। प्रस्तुत रिकार्ड से यह तो स्पष्ट है कि आराजी विवादित संयुक्त हिन्दु परिवार की आराजी नही है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि के लिये कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये, मात्र जबाव के कथनों के तथ्यों की पुष्टि नही मानी जा सकती है, के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर लिया। वस्तुतः इस तनकी को सिद्ध करने का भार तो वादी का था क्योंकि वादी को अपना वाद सिद्ध करने का भार रहता है। परन्तु ऐसा कर तहत अदालत द्वारा विधिक प्रक्रियात्मक त्रुटि की है। जिससे पक्षकारान को अपनी साक्ष्य या रिकार्ड पेश करने का मौका नही मिला। इस त्रुटि का परिमार्जन न्यायहित में

किया जाना आवश्यक है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2010 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर अपना निर्णय पारित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/2/21

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर